



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 11.08.2022

1-थाना इकोटेक 03 पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के उपरान्त 03 अभियुक्त (लूटेरे) गिरफ्तार एवं निशादेही पर लूटी कार को काटने वाले 03 अभियुक्तों को मय लूटी हुयी उबर टैक्सी कार (स्विफ्ट डिजायर) अधकटी, 01 मो0सा0 टीवीएस स्पोर्ट बिना नम्बर ,01 लूटा हुआ मोबाइल फोन सैमसंग, 01 मोबाइल फोन वीवो कैब बुक करने वाला , 01 पिस्टल मय 3 जिन्दा कार0 2 खोखा कार0 व 2 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 9/10.08.2022 को वादी की उबर टैक्सी कार नं0 यूपी 16 एफटी 7564 (स्विफ्ट डिजायर) को राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद से हल्दौनी मोड नोएडा के लिये 03 व्यक्ति बुक कराकर लाये थे । जिनके द्वारा पिस्टल से धमकाकर उक्त टैक्सी कार को एसीई गोल चक्कर से खेडा चौगानपुर के मध्य रोड से टैक्सी को लूट कर ले जाने वाले बदमाशों को दिनांक 10/11.08.2022 की रात्री में एटीएस गोल चक्कर से डीपीएस रोड की तरफ जाने वाले शमश्मान घाट के पास से तीनों बदमाश 1. रवि शर्मा पुत्र वेदप्रकाश शर्मा नि0 अशोक नगर गली नं0 6 सी-450 थाना ज्योतीनगर दिल्ली, 2.सचिन पुत्र राजू सिंह नि0 बी ब्लॉक गली नं0 3 म0नं0 392 अशोक नगर थाना ज्योतीनगर दिल्ली 3.कोमल पुत्र मल्लन नि0 डी ब्लॉक नजफगढ 40 फुटा रोड थाना नजफगढ दिल्ली को पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तो के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल .32 बोर मय 3 कार0 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस , 01 वादी मुकदमा से लूटा हुआ मोबाइल फोन सैमसंग रंग काला ,01 मो0सा0 टीवीएस स्पोर्ट बिना नम्बर, 02 चाकू व टैक्सी बुक कराने में प्रयोग मोबाइल वीवो बरामद हुये है ।

तीनों अभियुक्तों की निशादेही पर लूटी हुयी कार को तमीजुद्दीन पुत्र स्व0 साबिर नि0 गली नं0 5 शहीदा मस्जिद के पास राजीव नगर मन्डौली , शफाकत पुत्र ननुआ नि0 राजीव नगर गली नं0 3 म0नं0 517 मन्डौली दिल्ली व मकान मालिक मो0 फारूख पुत्र मो0 वाहिज नि0 बी 559 गली नं0 6 राजीव नगर मन्डौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली की मौजूदगी में उक्त कार आधी कटी हुयी एवं काटते हुये बरामद की गयी है ।

गिरफ्तार बदमाशों का एक संगठित गैंग है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कार लूटने की घटना को अंजाम देते हैं ।

कार लूटने वाले अभियुक्तों का विवरण-

1. रवि शर्मा पुत्र वेदप्रकाश शर्मा नि0 अशोक नगर गली नं0 25 थाना ज्योतीनगर दिल्ली उम्र 24 वर्ष ।
- 2.सचिन पुत्र राजू सिंह नि0 बी ब्लॉक गली नं0 3 म0नं0 392 अशोक नगर थाना ज्योतीनगर दिल्ली ।
- 3.कोमल पुत्र मल्लन नि0 डी ब्लॉक नजफगढ 40 फुटा रोड थाना नजफगढ दिल्ली ।

लूटी हुयी कार काटने वाले अभियुक्तों का विवरण-

1. तमीजुद्दीन पुत्र स्व० साबिर नि० गली नं० 5 शहीदा मस्जिद के पास राजीव नगर मन्डौली दिल्ली,
2. सफाकत पुत्र ननूआ नि० राजीव नगर गली नं० 3 म०नं० 517 मन्डौली दिल्ली ,
- 3.मकान मालिक मो० फारूख पुत्र मो० वाहिज नि० बी 559 गली नं० 6 राजीव नगर मन्डौली थाना हर्ष बिहार दिल्ली

अभियोग का विवरण-

- 1.मु०अ०सं० 338/22 धारा 392/411 भादवि थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 2.मु०अ०सं० 339/22 धारा 307/34 भादवि पु०मु० थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 3.मु०अ०सं० 340/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 4.मु०अ०सं० 343/22 धारा 414/482 भादवि थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 5.मु०अ०सं० 341/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर
- 6.मु०अ०सं० 342/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक 03 गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

- 1.. लूटी हुयी कार ऊबैर टैक्सी कार नं० यूपी 16 एफटी 7564 (स्विफ्ट डिजायर) खुर्द बुर्द हालत में ।
2. एक मोटर साईकिल टीवीएस स्पोर्ट बिना नम्बर (चोरी की)
3. एक पिस्टल .32 बोर मय 3 कारतूस जिन्दा व 2 खोखा कारतूस
4. दो चाकू अवैध
5. लूटा गया वादी का मोबाइल सैमसंग रंग काला
6. टैक्सी बुक कराने में प्रयोग मोबाइल वीवो मय सिम



2- थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाईसेन्सी रिवाल्वर बरामद।

थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा दिनांक 11.08.2022 को पंजीकृत मु0अ0सं0-100/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि में नामजद एवं वांछित अभियुक्त 1. जोगेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम घरबरा थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से घटना में प्रयुक्त उसकी लाईसेन्सी रिवाल्वर के साथ गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

दिनांक 10.08.2022 को वादी की लिखित तहरीर जिसमें अभियुक्त द्वारा वादी के साथ गाडी खडी करने को लेकर मारपीट करना तथा अपनी लाइसेसी रिवाल्वर से फायर करना जिससे वादी का बाल बाल बचना तथा गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी देकर चले जाने के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0-100/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

जोगेन्द्र पुत्र करन सिंह निवासी ग्राम घरबरा थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण -

1-मु0अ0सं0- 100/2022 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर ।

2-मु0अ0सं0-101/2022 धारा 30 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक प्रथम गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक रिवाल्वर लाईसेन्सी मय कारतूस



3- थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाले 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 125 ग्राम सोना, 90 हजार रूपये नकद, 04 कैमरे, 01 दूरबीन, 01 घडी सिल्वर, 01 मोबाइल फोन, 3 हाथ घडी 175 सिक्के भिन्न देशों के, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल व 02 तमंचे 315 बोर मय 04 कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 11.08.2022 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 267/2022 धारा 454/380/411 भादवि के संबंध में 02 अभियुक्त(1) राजू मण्डल उर्फ रौकी पुत्र रूद्रदेव मण्डल नि0 सी-134, सैक्टर 100 नोएडा मूल निवासी ग्राम राणा घाट थाना ताहिरपुर जिला नदिया पश्चिम बंगाल (2) सचिन पुत्र मनोज कुमार कश्यप नि0 सी 53, सैक्टर 100, नोएडा मूल निवासी गांव कुरसैदी थाना पाली जिला हरदोई उ0प्र0 को मदर डेयरी सैक्टर 99 के सामने पार्क से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से चोरी किये गये 125 ग्राम सोना, 90 हजार रूपये नकद, 04 कैमरे, 01 दूरबीन, 01 घड़ी सिल्वर, 01मोबाइल फोन, 03 हाथ घड़ी ,175 सिक्के भिन्न देशों के, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल व 02 तमंचे 315 बोर मय 04 कारतूस 315 बोर बरामद किये गये है।

अभियुक्तगण से गहन पूछताछ होने पर बताया कि हम लोग मोटरसाईकल से सैक्टरों में रेकी करते हैं। सैक्टरों -46 दिनांक 9.5.2022 को कोठी/ मकान का बन्द ताला लगा मिला था जिसके ताले को तोडकर अंदर प्रवेश कर उसमें रखे सोने चाँदी के जेवरातों, कैमरा व अन्य सामान को चोरी करके ले गये थे।

अभियुक्त का विवरण:

- (1) राजू मण्डल उर्फ रौकी पुत्र रूद्रदेव मण्डल नि0 सी-134, सैक्टर 100 नोएडा मूल निवासी ग्राम राणा घाट थाना ताहिरपुर जिला नदिया पश्चिम बंगाल
- (2) सचिन पुत्र मनोज कुमार कश्यप नि0 सी 53, सैक्टर 100, नोएडा मूल निवासी गांव कुरसैदी थाना पाली जिला हरदोई उ0प्र0

पंजीकृत अभियोग का विवरण/आपरधिक इतिहास का विवरण:

- 1-मु0अ0स0 267/22 धारा 454/380/411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2-मु0अ0सं0 485/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 4-मु0अ0स0 253/2016 धारा 379/411 भादवि0 थाना 20 गौतमबुद्धनगर
- 5-मु0अ0स0 78/2016 धारा 379/411 भादवि0 थाना 20 गौतमबुद्धनगर
- 6 -मु0अ0स0 452/2016 धारा 379/411 भादवि0 थाना 20 गौतमबुद्धनगर
- 7- मु0अ0स0 522/2016 धारा 379/411 भादवि0 थाना 20 गौतमबुद्धनगर
- 8- मु0अ0स0 911/2018 धारा 457/380/511 भादवि0 थाना 20 गौतमबुद्धनगर
- 9-मु0अ0स0 267/22 धारा 454/380/411 भादवि थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 10-मु0अ0सं0 486/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1. 125 ग्राम सोना,
2. 90 हजार रूपये,
3. 04 कैमरे

4. 1 दूरबीन,
5. 1 DV TDK,
6. 01 घडी सिल्वर
7. 1 IPOD APPLE,
8. 01 मोबाईल फोन
- 9 RC वाहन DL12CK8892 -INNOVA एंव DL3CBP1306 -SANTRO,
10. 03 हाथ घडी
11. कैमरा बैग रंग काला,
12. 175 सिक्के भिन्न देशों के
13. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी TVS जूपीटर रंग नीला No. UP16DE9710
- 14- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल SPLENDOR No. UP16DD5580
- 15- 02 तमंचे 315 बोर, 04 कारतूस 315 बोर



4-थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा अन्तर्राज्जीय विद्युत मोटर चोरी एवं घरों में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुये 03 अभियोगों का सफल अनावरण करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 छूरे (चाकू), 11 पूर्ण/खुली/टूटी फूटी हालत में ट्यूबवेलो की विद्युत मोटर, 01 रिफ्लैक्स वॉल, 01 समरसेविल की खुली हुई मोटर, 05 फ्लैन्च , 4 छोटी टूटी विद्युत मोटर, 14 छोटी विद्युत मोटरो के आरमेचर, 05 छोटे बडे विद्युत के अल्ट्रानेटर, 03 लोहे के पाईप, 01 आक्सीजन सिलेण्डर मय इन्स्ट्रूमेंट

गैस कटर , 01 इलेक्ट्रिक कांटा एवं विद्युत मोटर को खोलने/तोडने/काटने के यन्त्र (टूल्स) व 20,100/- रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त गाडी महिन्द्रा पिकअप बरामद।

दिनांक 10/11.08.22 को थाना रबूपुरा पुलिस द्वारा महिन्द्रा पिकअप नं0 यूपी 16 एचपी 5774 में सवार अन्तर्राज्तीय स्तर के घरों से नकदी, जेवरात चोरी करने वाले तथा विद्युत ट्यूबवैलों से विद्युत मोटर चोरी करने वाले गिरोह के 05 चोरों 1.राजा बाबू पुत्र इकबाल 2. रहीश पुत्र रंगीन 3. भूरी उर्फ अशरफ पुत्र सलीम 4. ताहिर पुत्र शहीद 5. दानिश पुत्र भोलू को मिर्जापुर कट के पास यमुना एक्सप्रेसवे के नीचे सर्विस रोड से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे 01 अवैध तमंचा मय 2 जिन्दा कारतूस 315 बोर, 02 छूरे (चाकू), 11 पूर्ण/खुली/टूटी फूटी हालत में ट्यूबवैलो की विद्युत मोटर, 01 रिप्लैक्स वॉल, 01 समरसेविल की खुली हुई मोटर, 05 प्लैन्च , 4 छोटी टूटी विद्युत मोटर, 14 छोटी विद्युत मोटरों के आरमेचर, 05 छोटे बडे विद्युत के अल्ट्रानेटर, 03 लोहे के पाईप, 01 आक्सीजन सिलेण्डर मय इन्स्ट्रूमेंट गैस कटर , 01 इलेक्ट्रिक कांटा एवं विद्युत मोटर को खोलने/तोडने/काटने के यन्त्र (टूल्स) व 20,100/- रुपये नकद व घटना मे प्रयुक्त गाडी महिन्द्रा पिकअप बरामद किये गये है।

अभियुक्त राजा बाबू उपरोक्त माननीय विशेष न्यायालय श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 21.06.2022 में जिलाबदर किया गया है । अभियुक्त राजा बाबू उपरोक्त जिलाबदर होने के बावजूद जनपद सीमा में होना पाया गया, जिसके विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 166/22 धारा 10 गुण्डा अधिनियम बनाम राजा बाबू उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.राजा बाबू पुत्र इकबाल निवासी मौ0 रावलपट्टी, कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
- 2.रहीश पुत्र रंगीन निवासी मौहल्ला मानक चौक कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
- 3.भूरी उर्फ अशरफ पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला रावलपट्टी कस्बा व थाना जेवर गौ0नगर।
- 4.ताहिर पुत्र शहीद निवासी मोहल्ला मानक चौक कस्बा व थाना जेवर गौतमबुद्धनगर।
- 5.दानिश पुत्र भोलू निवासी कस्बा व थाना शिकारपुर जिला बुलन्दशहर

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0सं0 141/22 धारा 457/380/411 भादंवि थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू आदि
- 2.मु0अ0सं0 159/22 धारा 379/411 भादंवि थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू आदि
- 3.मु0अ0सं0 160/22 धारा 379/411 भादंवि थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू आदि
- 4.मु0अ0सं0 162/22 धारा 414 भादंवि थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू आदि
- 5.मु0अ0सं0 163/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू
- 6.मु0अ0सं0 164/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा बनाम रहीश
- 7.मु0अ0सं0 165/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना रबूपुरा बनाम रहीश
- 8.मु0अ0सं0 166/22 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना रबूपुरा बनाम राजा बाबू

- 9.मु0अ0सं0 231/15 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 10.मु0अ0सं0 110/16 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 11.मु0अ0सं0 176/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 12.मु0अ0सं0 628/17 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 13.मु0अ0सं0 251/18 धारा 138 भा0वि0 अधि0 थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 14.मु0अ0सं0 479/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 15.मु0अ0सं0 423/21 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 16.मु0अ0सं0 868/21 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम थाना जेवर बनाम राजा बाबू
- 17.मु0अ0सं0 519/19 धारा 379 भादंवि थाना जेवर बनाम रहीश
- 18.मु0अ0सं0 519/19 धारा 379 भादंवि थाना जेवर बनाम ताहिर

बरामदगी का विवरण-

1. 11 पूर्ण/खुली/टूटी फूटी हालत में ट्यूबवेलो की विद्युत मोटर
2. 02 घरों से चोरी किया गया सामान व नगदी में से 20,100 रूपये
3. 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 4.02 छुरे /चाकू
- 5.. 11 छोटी इलेक्ट्रानिक मोटर, 01रिफ्लैक्स वॉल, 01 समरसेविल की खुली हुई मोटर, 05 फ्लैन्च , 04 छोटी टूटी फूटी हालत में विद्युत मोटर, 14 छोटी विद्युत मोटरो के आरमेचर, 05 छोटे बडे विद्युत के अल्ट्रानेटर, 03 लोहे के पाईप, 01 आक्सीजन सिलेण्डर मय इंस्ट्रुमेन्ट गैस कटर के, 01 इलैक्ट्रिक काटा एवं विद्युत मोटर को खोलने/तोडने/काटने के यन्त्र (टूल्स)



5-थाना कासना पुलिस द्वारा लूट/डकैती के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2022 को थाना कासना पुलिस द्वारा मु0अ0स0 86/2022 धारा 307,365,395,412 भादवि के अंतर्गत लूट/डकैती के अभियोग में वांछित अभि0 रिषभ पुत्र किशनवीर निवासी-एफएफ 4 पंच परमेश्वर अपार्टमेन्ट अक्षय एन्कलेव नियर एनडीआरएफ रोड गोविन्दपुरम थाना बापूधाम गाजियावाद को अभियुक्त के निवास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

रिषभ पुत्र किशनवीर निवासी एफएफ 4 पंच परमेश्वर अपार्टमेन्ट अक्षय एन्कलेव नियर एनडीआरएफ रोड गोविन्दपुरम थाना बापूधाम गाजियावाद।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0स0 86/2022 धारा 307,365,395,412 भादवि थाना कासना गौतमबुद्धनगर।



6-थाना बादलपुर पुलिस द्वारा एटीएम/क्रेडिट कार्ड बदलकर धोखाधड़ी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे मय 02 जिंदा कारतूस, 03 मोबाइल फोन, 15 ए0टी0एम0 कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के , कुल 40000/-रू0 नकद , घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार बरामद।

थाना बादलपुर पुलिस द्वारा दिनांक 10.08.2022 को धूम मानिकपुर बैरियर से दौराने चौकिंग अभियुक्त 1.मोबीन पुत्र सुख मौ0 निवासी ग्राम चिरचिटा उर्फ चिट्टा मुकीमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर 2.शहजाद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम घाघोट थाना चान्त जिला पलवल हरियाणा 3.इकराम पुत्र नबीशेर निवासी ग्राम चिट्टा मुकीमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर गिरफ्तार किया गया है।अभियुक्तो के कब्जे से 02 तमंचे मय 02जिंदा कारतूस, 03 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के, 15 ए0टी0एम0 कार्ड भिन्न भिन्न बैंको के , कुल 40000/-रू0 नकद, घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार रजि0नं0 डीएल 4 सीएजे 4895 सम्बन्धित मु0अ0स0 219/2022 धारा 420,379,411 भादवि बरामद की गयी है।

दिनांक 27.07.2022 को दुजाना गेट के पास स्थित ऐक्सेस बैंक के एटीएम से वादी का धोखाधड़ी से एटीएम कार्ड चेंज कर 1,40,000/- रूपये निकाल लिये थे जिसके सम्बन्ध मे थाना बादलपुर गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0स0 219/2022 धारा 420,379 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तों द्वारा अपराध करने का तरीका -

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा लोगों के धोखे से एटीएम कार्ड बदल लेते हैं। अभियुक्तों का 3-4 व्यक्तियों का गैंग है, अभियुक्तों में से घटना के दौरान एक व्यक्ति एटीएम में पहले जा कर एटीएम मशीन को कुछ देर के स्लीप मोड पर कर देता है। जिससे पैसे निकालने आये ग्राहक को रूपये निकालने में दिक्कत आती है और कुछ देर तक रूपये नहीं निकलते। एटीएम में गया व्यक्ति मदद करने के बहाने कार्ड बदल देता है और बहाने से एटीएम कार्ड का पिन कोड पूछ लेता और बाहर निकलकर गाड़ी में बैठकर कुछ दूर आगे जाकर स्वैप मशीन द्वारा कार्ड को स्वैप कर पैसे स्वैप कर लेते हैं व कुछ रूपये एटीएम से निकाल लेते हैं। इसी तरह से अभियुक्त पिछले 02 वर्ष से घटनाएँ करते आ रहे हैं। इन दो वर्षों में अभियुक्तों ने करीब 35-40 घटनाओं की हैं जिसमें करीब 15-20 लाख रूपये धोखाधड़ी कर निकाले हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मोबीन पुत्र सुख मौ0 निवासी ग्राम चिरचिटा उर्फ चिट्टा मुकीमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर
2. शहजाद पुत्र आस मोहम्मद निवासी ग्राम घाघोट थाना चान्त जिला पलवल हरियाणा
3. इकराम पुत्र नबीशेर निवासी ग्राम चिट्टा मुकीमपुर थाना सलेमपुर जिला बुलन्दशहर

अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 219/22 धारा 420/379/411 भादवि थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0स0 225/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
3. मु0अ0सं0 551/20 धारा 379/411/420 भादवि थाना डिडौली जिला अमरोहा
4. मु0अ0सं0 14/22 धारा 406/420 भादवि थाना तिलैया जिला कोडरमा राज्य झारखण्ड
5. मु0अ0स0 226/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण-

1. 15 ए0टी0एम0 कार्ड भिन्न भिन्न बैंक के
2. नगद 40000/-रू0
3. 01 स्वैप मशीन पेटीएम कंपनी की
4. घटना में प्रयुक्त सैन्ट्रो कार रजि0न0 डीएल 4 सीएजे 4895
5. 03 मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कंपनी के
6. 01 तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
7. 01 तमंचा .12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .12 बोर



7-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 04 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूटी गयी एक स्विफ्ट कार बरामद ।

दिनांक 10.08.2022 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा चार लुटेरें 1.संदीप पुत्र योगेश कुमार निवासी, गंधरी शाहपुर थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस हाल पता, बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर 2. रोबिन पुत्र रोहन सिंह निवासी, ग्राम रोड बांगड थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर हाल पता , बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर 3.मोहित पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी, मौहल्ला चौक बीबीनगर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर पाल पता, बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर तथा 4. शिवम पुत्र सोनू शर्मा निवासी, बीधानगर थाना गभाना जनपद अलीगढ हाल पता बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर को घण्टा गोलचक्कर सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट की एक गाडी स्विफ्ट डिजायर रजि0नं0-पीबी 22 टी 1005 तथा बरामद हुई है ।

घटना का विवरण-

गिरफ्तार चारो अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी (लुटेरे) है जिनके द्वारा बरामद शुदा स्विफ्ट गाडी को दिनांक 31.07.2022 को बुलन्दशहर टैक्सी स्टैण्ड से केदारनाथ जाने के बहाने धोखा देकर लूट के उद्देश्य से बुक किया था और रास्ते में कार चालक को कोल्ड ड्रिंक में शराब पिलाकर नशा हो जाने पर चालक को छजलैट जनपद मुरादाबाद में रास्ते फेंककर गाडी लूटकर फरार हो गये थे तथा लूटी गयी गाडी पर पुलिस से बचने के लिए रजि0नं0-डीएल 1जैड सी 9542 की फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1.संदीप पुत्र योगेश कुमार निवासी, गंधरी शाहपुर थाना सिकन्दरा राऊ जनपद हाथरस हाल पता, बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
2. रोबिन पुत्र रोहन सिंह निवासी, ग्राम रोड बांगड थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर हाल पता , बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
- 3.मोहित पुत्र जितेन्द्र सिंह निवासी, मौहल्ला चौक बीबीनगर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर पाल पता, बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर
4. शिवम पुत्र सोनू शर्मा निवासी, बीधानगर थाना गभाना जनपद अलीगढ हाल पता बराही मन्दिर वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0 -508/2022 धारा 414/420/482 भादवि0 थाना सूरजपुर जीबीएन बनाम संदीप आदि

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित उपरोक्त

1.मु0अ0सं0 302/2021 धारा 379/411/420/468 भादवि0 थाना सूरजपुर जीबीएन बनाम मोहित उपरोक्त ।

बरामदगी का विवरण-

एक गाडी स्विफ्ट रंग सफेद रजि0नं0-PB22 T 1005 तथा इंजन नम्बर-D13A3205642



आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे #आजादीकाअमृत_महोत्सव समारोह के अवसर पर #HarGharTiranga2022 अभियान के अंतर्गत सेक्टर-108 नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस बल के साथ फहराया तिरंगा।

आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान श्रमदान अभियान के अवसर पर मुख्यालय सूरजपुर पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह द्वारा अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह, डीसीपी सेंट्रल राजेश एस, एडीसीपी लॉ एंड आर्डर रणविजय सिंह व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ श्रमदान किया गया तथा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार द्वारा पुलिस आयुक्त कार्यालय सेक्टर 108 में पुलिस जवानों के साथ श्रमदान किया गया।

श्रमदान अभियान के तहत आजादी के अमृत महोत्सव को और अधिक यादगार बनाने के लिये सभी थाना, चौकियों तथा पुलिस लाइन परिसर में स्वच्छता के लिए श्रमदान अभियान चलाकर पुलिस के जवानों द्वारा साफ सफाई का कार्य किया गया।

आज रक्षाबंधन पर्व के मौके पर बाजारों में भीड़-भाड़ होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस अधिकारियों द्वारा बाजारों में पैदल मार्च करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस मौके पर अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय भारती सिंह द्वारा डीसीपी ग्रेटर नोएडा अभिषेक वर्मा, डीसीपी महिला सुरक्षा मीनाक्षी कात्यायन व एडीसीपी महिला सुरक्षा अंकिता शर्मा के साथ थाना बीटा 2 क्षेत्र में बाजारों व पर महिलाओं/बच्चों से वार्ता की, उन्हें पुलिस सहायता संपर्क नंबर भी साझा किए तथा हर घर तिरंगा अभियान के अवसर पर तिरंगा ध्वज भी वितरित किए गए।

सभी जोन में संबंधित डीसीपी/एडीसीपी व एसीपी द्वारा भीड़-भाड़ वाले स्थानों, बाजारों, बस/ऑटो स्टैंड आदि पर जाकर सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया जा रहा है, ऊचूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ किया जा रहा है। महिलाओं, बच्चों से वार्ता कर कोई भी परेशानी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने के लिए भी कहा गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा महिलाओं, बच्चों को तिरंगा ध्वज भी वितरित किए।

